

प्रेषक,

राम नेवास
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 04 दिसम्बर, 2017

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत डी०पी०आर० तैयार करने एवं पी०एम०सी० की सेवायें लेने हेतु केन्द्रांश+राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2172/10/30/76/एक/2017-18, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या-2695/10/30/76/एक/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने हेतु ₹ 3750.00 प्रति आवास एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सल्टेन्सी (पी०एम०सी०) की सेवायें लेने हेतु ₹ 6875.00 प्रति आवास अर्थात् उक्त दोनों मदों में कुल ₹ 10625.00 प्रति आवास की दर से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से अनुसूचित जाति के 2437 आवासों हेतु कुल धनराशि ₹ 2,58,93,125.00 (रूपये दो करोड़ अठ्ठावन लाख तिरानवे हजार एक सौ पच्चीस मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या-866/2016/2916/69-1-16-14(139)/2015टीसी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप दिशा-निर्देशों/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं सूडा द्वारा योजना के गाइड लाइन्स का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

क्रमशः.....2

FC
5/12/17

12/17

FC/PO

41

04/12/17

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में जी०एफ०आर०-2005 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्वीकृत धनराशि को व्याज सहित भारत सरकार को वापस किया जायेगा।
6. सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अमुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरण करके अनावश्यक रूप से पी०एल०ए०/बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।
8. सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
13. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0122-प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) मिशन (के.60/रा.40-के.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-1415(1)/दस-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राम मैक्स)

विशेष सचिव।

संख्या-120/2017/1379(1)/69-1-17-14(87)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1।
6. नियोजन अनुभाग-1/4
7. समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/ कम्प्यूटर सहायक ।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।